

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक : प.22(117)न्याय/2024-57926

जयपुर, दिनांक : 31/08/2026

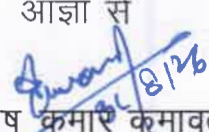
::आज्ञा::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14804/2026 अलका रानी बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांक 17.08.2026 के अनुक्रम में श्रीमती अलका रानी, कनिष्ठ विधि अधिकारी द्वारा दिनांक 20.08.2026 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर उन्हें कोटा विकास प्राधिकरण या कोटा में ही अन्य विभाग में कनिष्ठ विधि अधिकारी पर स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया है।

श्रीमती अलका रानी का स्थानान्तरण विभागीय आदेश दिनांक 10.07.2026 द्वारा कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा से जिला कलक्टर कार्यालय, बून्दी में कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर किया गया था। श्रीमती अलका रानी द्वारा उनके विधवा एवं एकल महिला कर्मचारी होने, परिवार और पुत्री का सम्पूर्ण दायित्व उन पर निर्भर होने, पुत्री का नोएडा में अध्ययनरत होने और परिवीक्षाकाल दिनांक 08.07.2026 को पूर्ण होने के तत्काल पश्चात स्थानान्तरण किये जाने के साथ ही कोटा में कनिष्ठ विधि अधिकारी के रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर उन्हें कोटा स्थित किसी कार्यालय में समायोजित/पदस्थापित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

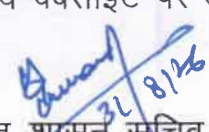
श्रीमती अलका रानी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त यह दर्शित होता है कि विधवा और एकल महिला होने के कारण उन्हें कोटा से बाहर पदस्थापित किये जाने पर उन्हें विशेष कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। माननीय उच्च न्यायालय ने स्थानान्तरण नीति के लिये गठित की जाने वाली समिति को भी विधवा महिलाओं के संबंध में विचार करने के लिये निर्देशित किया है। उक्त तथ्यों के दृष्टिगत रखते हुये अलका रानी का पदस्थापन कोटा स्थित कार्यालय में रिक्त पद पर किया जाना उचित होगा। अतः श्रीमती अलका रानी के संबंध में जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.07.2026 के क्रम संख्या 110 पर अंकित कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा से जिला कलक्टर कार्यालय, बून्दी में किये गये स्थानान्तरण आदेश को संशोधित करते हुये श्रीमती अलका रानी का स्थानान्तरण कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा से राजकीय मेडिकल कालेज, कोटा किया जाता है।

आज्ञा से


(आशीष कुमार कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. आयुक्त, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावे।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कोटा।
5. अलका रानी, कनिष्ठ विधि अधिकारी को पालनार्थ।
6. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली


संयुक्त शासन सचिव